बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

संतोष मैन्शन, बी0-ब्लॉक, आर0पी0एस0 विधि महाविद्यालय के निकट, रघुनाथ पथ, दानापुर, पटना–801503
(वेबसाइट – www.bpssc.bih.nic.in)

बिहार सरकार, परिवहन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2019 में प्रवर्तन अवर निरीक्षक (Enforcement Sub Inspector) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना ।

ऑनलाईन (Online) आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि–03.12.2019 (मंगलवार)
ऑनलाईन (Online) आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि–06.01.2020 (सोमवार)

विज्ञापन संख्या–02/2019

बिहार सरकार, परिवहन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2019 में प्रवर्तन अवर निरीक्षक (Enforcement Sub Inspector) के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:

पद	वेतनमान	रिक्तियों की संख्या
प्रवर्तन अवर निरीक्षक (Enforcement Sub Inspector)	लेवल–6 (रू0 35400–112400)	212

उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या–02/2019 यहाँ जारी किया जा रहा है ।

उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन (Online) आवेदन–पत्र प्राप्त किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है ।

प्रवर्तन अवर निरीक्षक (Enforcement Sub Inspector) के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नांकित है:

1. लिखित प्रतियोगिता परीक्षा– आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी । लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा– प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा । लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे ।

प्रारम्भिक परीक्षा– प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या–100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी । उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे । इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए अहर्तपत घोषित किये जायेंगे । प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 (बीस) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जायेगा । मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

मुख्य परीक्षा– प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा । मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे ।

प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिन्दी का 2 (दो) घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अहर्ताक 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा । सामान्य हिन्दी पत्र का प्रारंभिक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जायेगा ।

द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, मानसिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता आँच से सम्बन्धित होगा । द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या–100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी ।

दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा । उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी ।

मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 (छः) गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जायेगा । अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

2. शारीरिक दक्षता परीक्षा– मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता का न्यूनतम मापदंड निम्न प्रकार से होगा:

ऊँचाई – पुरूषों के लिए – न्यूनतम ऊँचाई 165 सेन्टीमीटर होनी चाहिए ।
महिलाओं के लिए – न्यूनतम ऊँचाई 150 सेन्टीमीटर होनी चाहिए ।

सीना (सिर्फ पुरूषों के लिए) –
बिना फुलाए – 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर – 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
(सुझाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

पैदल चलने की क्षमता–
पुरूषों के लिए– 4 (चार) घंटे में 25 (पच्चीस) किलोमीटर ।
महिलाओं के लिए– 4 (चार) घंटे में 14 (चौदह) किलोमीटर ।

3. साक्षात्कार– मुख्य लिखित परीक्षा में यथामित एवं शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिसमें उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा एवं परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा । साक्षात्कार मूल–30 (तीस) अंकों का होगा ।

मेधा सूची में tie होने पर विद्या–निर्देश:

अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी । मेधा सूची में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात उच्च में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । इससे बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण–पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

अन्तिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अहर्ताक:

अन्तिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 32 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 34 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 40 प्रतिशत होगा ।

अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थियों का दिनांक 01.08.2019 अथवा इससे पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

उम्र सीमा की गणना:

उच्च सीमा की गणना दिनांक 01-08-2019 के आधार पर की जायेगी परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 01-08-2014 को सरकार द्वारा नियोजित अधिकतम उच्च सीमा धारित करते हो, वे भी उच्च सीमा के आधार पर इस आवेदन–पत्र को भर सकेंगे। बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र संख्या 212 दिनांक–23.01.2006 द्रष्टव्य।

अभ्यर्थियों की उच्च (दिनांक 01 अगस्त 2019 को):

(1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम उच्च 21 वर्ष और अधिकतम उच्च 42 वर्ष ।

(2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम उच्च 21 वर्ष और अधिकतम उच्च 45 वर्ष ।

(3) अनारक्षित (सामान्य) कोटि एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उच्च 21 वर्ष और अधिकतम उच्च 45 वर्ष ।

(4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उच्च 21 वर्ष और अधिकतम उच्च 47 वर्ष होनी चाहिए ।

आरक्षण :– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू, होंगे एवं इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा ।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी । तदनुरूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा एवं अन्य सम्बन्धित अर्हताएँ लागू होंगी ।

प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर रिक्ति:

क्रमांक	श्रेणी / कोटि	पदों की संख्या	महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद (35 प्रतिशत)
1.	अनुसूचित जाति	34	13
2.	अनुसूचित जनजाति	02	00
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	38	15
4.	पिछड़ा वर्ग	25	08
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	22	07
6.	पिछड़े वर्गों की महिलायें (3%)	07	
7.	अनारक्षित (सामान्य)	84	30
8.	कुल योग	212	73

क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था :

1. प्रवर्तन अवर निरीक्षक हेतु अधिसूचित 212 पदों पर बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ।

2. बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2526, दिनांक– 18.02.2016 के आलोक में राज्य सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी को 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है अर्थात उनके लिए कुल 4 (चार) पद आरक्षित हैं ।

आयु सीमा में छूट का प्रावधान:

(1) प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट प्रदान की जायेगी:

"अतैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को उच्च सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य दिव्यायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उच्च आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।"

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर भूतपूर्व सैनिकों को आयोग के विज्ञापन संख्या–02/2019 में अंकितकाल आयु सीमा में देय छूट प्रदान की जाएगी ।

(2) प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट प्रदान की जायेगी:

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक– 16.07.2007 द्वारा बिहार राज्य के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 (तीन) वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट प्रदान की गयी है ।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयोग के विज्ञापन संख्या–02/2019 में अंकितकाल आयु सीमा में देय छूट प्रदान की जाएगी ।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र:

प्रवर्तन अवर निरीक्षक के उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन (Online) आवेदन–पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । दिनांक–03.12.2019 (मंगलवार) से ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 06.01.2020 (सोमवार) निर्धारित है । विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाईट www.bpssc.bih.nic.in पर विस्तार से बताया गया है । सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (प्रदेय शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन–पत्र का शुल्क देना होगा । ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की पद्धति में आवेदन–पत्र के मूल्य को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 700/– (सात सौ) रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 400/– (चार सौ) रूपये निर्धारित किया गया है ।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश:

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए वेबसाईट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन–पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करें । यदि कोई सूचना छूटी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन–पत्र को रद्द करने के साथ–साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर दिये गए आवेदन–पत्र संबंधी लिंक (link) पर क्लिक करेंगे जिसके पश्चात आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जाता है । इस क्रम में अभ्यर्थी से उनका मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल लिया जाता है।

पंजीकरण और भुगतान करने के लिए निर्देश :

पंजीयन करने और भुगतान करने से पहले एक महत्वपूर्ण नोट: एक वैध उद्विग्न मोबाइल फोन क्रमांक और ई–मेल ID रखें जो आपका हो। भर्ती के अंतिम चरण के पूरा होने तक BPSSC अभ्यर्थी से उसी मोबाइल क्रमांक/ई–मेल पते से संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया है । BPSSC गलत या अनाभ्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल क्रमांक या ई–मेल पता इनपुट (रू) के लिए जिम्मेदार नहीं है।

1. पंजीकरण प्रपत्र

(नोट: कृपया आवेदन फॉर्म खरीदने के लिए पंजीकरण करने से पहले निम्न जानकारी तैयार रखें)

1. आवेदक का नाम:
   A. **Direct Recruitment** – आवेदक का नाम 10th/SSC/ मैट्रिकपूल्हेशन प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए. मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग यी अनुमति नहीं है ।
   B. **Ex-Serviceman** – आवेदक का नाम PPO/Defence services documents के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है ।
   C. **Employees of Bihar Government** – आवेदक का नाम 10th/SSC/मैट्रिकपूल्हेशन प्रमाण पत्र/सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग यी अनुमति नहीं है ।
2. राष्ट्रीयता: आवेदक अपनी राष्ट्रीयता को भारतीय रूप में भरेगा, क्योंकि इस पद पर आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है ।
3. मोबाइल नम्बर: वैध और सक्रिय मोबाइल नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है, क्योंकि यह BPSSC से भावी संवाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा । अगर आप गलत या अवैध मोबाइल नम्बर दर्ज करते हैं, तो आप भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पाएंगे और यदि BPSSC से सूचनाओं के दौरान किसी भी समय आपका मोबाइल नम्बर काम नहीं कर रहा है तो BPSSC उत्तरदायी होगा और न ही जिम्मेदार होगा । कोई भी आवेदक किसी एक आवेदन–पत्र भर सकता है । एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक आवेदन–पत्र भरा जा सकता है । अगर BPSSC को लगता है कि आपने विभिन्न मोबाइल नम्बरों के साथ दो बार या अधिक आवेदन किया है, तो आपके सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने या भरने के बाद मोबाइल क्रमांक में बदलाव स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
4. ई–मेल ID : पंजीकरण के लिए एक व्यक्तिगत ई–मेल ID अनिवार्य है । आप पत्राचार/संवाद के लिए इस ई–मेल पते का प्रयोग करेंगे क्योंकि BPSSC ऐडमिट कार्ड डाउनलोड", "पेक यूज़र रिजल्ट" आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण संवाद भेजेगी। आप एक ई.मेल पते के साथ केवल एक आवेदन कर सकते हैं। यदि BPSSC को पता चलता है कि आपने अलग–अलग ईमेल पतों के साथ दो बार या अधिक आवेदन किया है, तो आपके सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने या भरने के बाद ई–मेल पते में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
5. बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल) : यदि आप बिहार के निवासी हैं तो "हां" चुनें, अन्यथा "नहीं" चुनें । दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदक को "अधिवास (डोमिसाइल) सर्टिफिकेट" दिखाना आवश्यक है । ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद अधिवास (डोमिसाइल) सर्टिफिकेट का बदलवा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
6. वर्ग : आवेदक को अपने वर्ग का चयन करना चाहिए जिससे वह संबंधित है, जैसे, सामान्य, EWS, EBC, BC, SC, ST। और EWS, EBC, BC, SC, STसे संबंधित आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य वर्ग के रूप में चयन करना चाहिए । पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद वर्ग में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
7. लिंग : जो लागू हो (पुरुष या महिला) ।
8. **Employee of Bihar Government** : वैसे अभ्यर्थी जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और उक्त वेतनमान के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें "YES" का चयन करना होगा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. **Ex-Servicemen** : वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व सैनिक हैं और उक्त सीमा छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें "YES" का चयन करना होगा। अभ्यर्थी जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. जन्म तिथि:
   A. **Direct Recruitment**– जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए । यह 10th/SSC/मैट्रिकपूल्हेशन सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए । उच्च सीमा की गणना दिनांक 01-08-2019 के आधार पर की जायेगी परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 01-08-2014 को सरकार द्वारा नियोजित अधिकतम उच्च सीमा धारित करते हों, वे भी उच्च सीमा के आधार पर इस आवेदन–पत्र को भर सकेंगे।

आवेदक की आयु दिनांक 1 अगस्त 2019 को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए ।

	पुरुष		महिला	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
सामान्य	21	42	21	45
EWS	21	42	21	45
BC/EBC	21	45	21	45
SC/ST	21	47	21	47

(नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)

B. **Ex-Serviceman**: जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए । यह PPO/Defence services documents के अनुसार होनी चाहिए । आवेदक जो पूर्व सैनिक (JCO/NCO) हैं, उनकी उच्च सीमा की गणना दिनांक- 01-08-2019 के आधार पर की जायेगी । जैसा कि अधिकतम आयु सीमा की कट-ऑफ तिथि 01 अगस्त 2019 है, आवेदकों को 01 अगस्त 2019 या उसके पहले सेवानिवृत्त होना आवश्यक है। पूर्व सैनिकों (JCO/NCO) की अधिकतम आयु निम्न मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए (01 अगस्त 2019 को)।

आयु मानदंड

	पुरुष	महिला	दोनों (पुरुष एवं महिला)
	Maximum qualifying age	**Maximum qualifying age**	**Maximum Age Limit**
सामान्य	37 Years+Years of Service Rendered+3 Years	40 Years+Years of Service Rendered+3 Years	57 years
EWS	37 Years+Years of Service Rendered+3 Years	40 Years+Years of Service Rendered+3 Years	57 years
BC/EBC	40 Years+Years of Service Rendered+3 Years	40 Years+Years of Service Rendered+3 Years	57 years
SC/ST	42 Years+Years of Service Rendered+3 Years	42 Years+Years of Service Rendered+3 Years	57 years

(नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)

i-आवेदक PPO संख्या : आवेदक को अपना पेंशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर देना होगा।

ii-सेवा आरंभ तिथि : आवेदक को सेवा आरम्भ करने की तिथि प्रदान करनी होगी।

iii-सर्विस डिस्चार्ज तिथि : आवेदक को सर्विस से डिस्चार्ज होने की तिथि भी देनी होगी।

C. **Employees of Bihar Government**: जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए । यह 10th/SSC/मैट्रिकपूल्हेशन सर्टिफिकेट/ सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार होनी चाहिए । उच्च सीमा की गणना दिनांक. 01-08-2019 के आधार पर की जायेगी । आवेदक की आयु (01 अगस्त 2019 को) निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए ।

	पुरुष	महिला
	Maximum qualifying age	**Maximum qualifying age**
सामान्य	37 Years+5 Years	40 Years+5 Years
EWS	37 Years+5 Years	40 Years+5 Years
BC/EBC	40 Years+5 Years	40 Years+5 Years
SC/ST	42 Years+5 Years	42 Years+5 Years

(नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)

नोट: प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद, पूर्ण विवरण दिखाया जाएगा । भुगतान करने से पहले, आवेदक **"Edit Details"** बटन को क्लिक करके एडिट कर सकते हैं । एक बार भुगतान करने के बाद, आवेदक विवरण को एडिट नहीं कर सकते ।

2: भुगतान करें:

1- पंजीकरण पूरा करने के बाद, आवेदकों को नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड या उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान करना होगा । भुगतान राशि में अपेक्षित आवेदन शुल्क और बैंक के देय लेनदेन शुल्क लागू, होंगे जो भुगतान पृष्ठ पर दिखाए जाएंगे ।

आवेदन शुल्क निम्न है

	पुरुष	महिला
सामान्य	700/-	700/-
EWS	700/-	700/-
EBC/BC	700/-	700/-
SC/ST	400/-	400/-

2- सफल भुगतान के उपरांत, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर पंजीकरण ID के साथ एक सफल पंजीकरण संदेश प्राप्त होगा। यह पंजीकरण ID आपकी आवेदन ID भी होगी, जिसका प्रयोग आप भविष्य के संदर्भों के लिए करेंगे।

3- आवेदक को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल पंजीकरण संख्या के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए ।

4- किसी भी मामले में, सफल पंजीकरण के बाद आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी।

5- Submit करने के बाद पंजीकरण फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए भुगतान करने से पहले आवेदक को सभी विवरणों की जांच करनी चाहिए ।

6- अगर खिलती या ई.टेलर्स की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण से राशि की कटौती हो जाती है और आवेदक को सफल पंजीकरण संदेश नहीं मिल पाता है, तो शुल्क राशि 7 कार्य दिवस के बाद लौटा दी जाएगी। BPSSC किसी भी प्रकार के मुद्दों या देय तिथि से पहले फॉर्म भरने में आवेदक की वजह से होने वाली देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है । आवेदकों को सलाह दी जाती है की आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें और पहले ही आवेदन सुनिश्चित कर लें ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

3: पंजीकरण रद्दीकरण:

1. यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण और भुगतान किया है, तो आप अपने विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए, हमारे पास एक रद्दीकरण प्रावधान है। आवेदक पंजीकरण को रद्द कर सकता है और रद्द फिर से पंजीकरण कर सकता है, लेकिन आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी ।
2. पंजीकरण रद्द करने के लिए दिशानिर्देश:
   i- पंजीकरण रद्द करने के लिए, वेबसाइट पर जाएं (https://apply-bpssc.com) और 'View Application' Status बटन पर क्लिक करें ।
   ii- अपना आवेदन/पंजीकरण ID या मोबाइल क्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करें और 'Submit' बटन पे क्लिक करें ।
   iii- 'Submit' बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक के विवरण और 'Cancel Registration' बटन दिखाई देंगे। आपको 'Cancel Registration' बटन पर क्लिक करना होगा।
   iv- क्लिक करने के बाद, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर वन–टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।
   v- आवेदक को ओटीपी दर्ज करना होगा और 'Cancel' बटन पर क्लिक करना होगा, फिर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
   vi- रद्दीकरण के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर सन्देश प्राप्त होगा, जिसमे पंजीकरण रद्दीकरण का उल्लेख होगा।
3. पंजीकरण रद्द करने के बाद, आवेदक का मोबाइल नम्बर मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि आवेदक उसी मोबाइल क्रमांक के प्रयोग से फिर से पंजीकरण कर सकें।

नोट:

i. Direct Recruitment/Employees of Bihar Government - 01 अगस्त 2019 तक या इससे पहले, आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेचुएट होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

ii. Ex-Serviceman - 01 अगस्त 2019 तक या इससे पहले, आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेचुएट होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या आपके पास डिफेन्स सर्विसेज के द्वारा जारी की हुई बेचुएशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए।

घोषणा: मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैंने BPSSC द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 02/2019 को भी भलीभांति पढ़ लिया है । मैं पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया को बारे में अच्छी तरह जान गया हूँ। जब भी BPSSC मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टिकरण मांगेगा, मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा । मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन या सामान विवरण का आवेदन नहीं भरा है । मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन–पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना होगा ।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए निर्देश:

निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र :
   A. **Direct Recruitment/ Employees Of Bihar Government** – शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (10th/SSC/मैट्रिकपूल्हेशन,बेचुएशन,पोस्ट- बेचुएशन (वैकल्पिकपत्र))
   B. **Ex-Serviceman**- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (बेचुएशन, पोस्ट-बेचुएशन (वैकल्पिक)।
2. पते का विवरण :
   A. **Direct Recruitment/ Employees Of Bihar Government** – पते का विवरण (आधार/वोटर ID/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड/जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार) । (करीबी डाकघर और पिन कोड का विवरण भी प्रदान करें)
   B. **Ex-Serviceman**- पते का विवरण (आधार/वोटर ID/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड/जन्म प्रमाणपत्र/Defence Services documents के अनुसार) । (करीबी डाकघर और पिन कोड का विवरण भी प्रदान करें)
3. आपका jpg या png प्रारूप में अपने ठाल ही के पासपोर्ट साइज फोटो की एक स्कैन की गई प्रति चाहिए ।
   a. फोटो अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश
   b. पासपोर्ट साइज (3.5cm×4.5cm) का दो माह के अंदर खींचा हुआ रंगीन फोटो अपलोड करें ।
   c. फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए । फोटो की साइज 25kb से कम होनी चाहिए ।
   d. फोटोग्राफ में आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।
   e. फोटो खिंचवाते समय अनावश्यक रूप से टोपी एवं काला/रंगीन चश्मा नहीं लगाया होना चाहिए या अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए ।
   f. सुनिश्चित करें कि आपने अपना फोटो अपलोड किया है, अन्यथा आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और BPSSC किसी भी प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।
4. अपने हस्ताक्षर की एक स्कैन प्रतिलिपि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेन ड्राइव या कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर रखें । दोनों हस्ताक्षर काले स्याही में सफेद कागज पर होने और साइ